International Journal of Education and Science Research Review
E- ISSN 2348-6457
Volume-1, Issue-6 December- 2014 P- ISSN2349-1817
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

सर्वशिक्षा अभियान में शिक्षक संघ की भूमिका की संक्षिप्त व्याख्या

प्रिंयका गुप्ता
शोधार्थी
जे0जे0टी0यू0,झुंझनू(राजस्थान)

डॉ0 ऋतु भारद्वाज
शोध निर्देशिका
जे0जे0टी0यू0, झुंझनू (राजस्थान)

सार
सर्वशिक्षा अभियान को चलाने में माता शिक्षक संघ की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है यह संघ–माताओं और शिक्षकों का एक समूह होता है इसमें वे सभी मातायें शामिल होती हैं, जिनके बच्चे विद्यालय आते हैं, या जिनके बच्चे बीच–बीच में विद्यालय नही आते या फिर जिनके बच्चे शालात्याग चुके हैं। ''माता शिक्षक संघ'' के सदस्य प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों से सम्पर्क करते हैं विकलांग बच्चों को भी विद्यालय लाने में सहायता करते हैं। शिक्षकों को भी बच्चों के विषय में जानकारी देती है। ''माता शिक्षक संघ'' बच्चों के अभिभावकों को बच्चों के खानपान, विद्यालय भेजना, खेल आदि सम्पूर्ण क्रियाओं से अवगत कराते हैं। प्रतिमाह बैठक के द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करती है तथा बच्चों की शिक्षा के प्रति, देश के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति तथा अन्य क्रिया कलापों के प्रति योजना बनाकर क्रियान्वित करती है।
संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार किसी ग्राम या ग्रामों के समूह के लिये पंचायते बनायी गयी हैं। इन पंचायतों में चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं इसके अलावा प्रत्येक पंचायत एक ''ग्राम शिक्षा समिति'' गठित करती है। जो ग्राम स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में निर्धारित कार्यक्रमों के प्रशासन के लिये जिम्मेदार होती है। इन ग्राम शिक्षा समितियों की प्रमुख जिम्मेदारी व्यवस्थित रूप से घर–घर सर्वेक्षण करके अभिभावकों के साथ समय–समय पर चर्चा करके गाँव में सूक्ष्म स्तर का आयोजन तैयार करने तथा स्कूल मानचित्रण की होती है। ग्राम शिक्षा समितियों के द्वारा प्रारम्भिक बाल देखरेख शिक्षा के प्रबन्धन में सहायता, वैकल्पिक केन्द्रो की स्थापना, विद्यालय भवन के कक्षा कक्षों के निर्माण तथा निरीक्षण करना, विद्यालयों के लिये दान, शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन, घर–घर सर्वेक्षण करके सूक्ष्म आयोजन तैयार करना, छात्र नामांकन, शालात्यागी की दर में कमी लाने के लिये कार्य करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, समुदाय को गतिशील बनाना मिड–डे मिल की व्यवस्था करना ग्राम समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ाना आदि अन्य कार्य किये जाते हैं।

ग्राम शिक्षा समिति
''उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत संशोधित अधिनियम असाधारण गजट दिनांक 05.05.2000 द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक समिति गठित की गई है जो ''ग्राम शिक्षा समिति'' कहलायी''। ''संविधान संशोधन विधेयक के अन्तर्गत किसी ग्राम या ग्रामों के समूह के लिए पंचायते बनाई गई है। इस पंचायत में चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं'' इसके अलावा भी प्रत्येक पंचायत एक ग्राम शिक्षा समिति गठित कर सकती है जो ग्राम स्तर पर शिक्षा समितियों की प्रमुख जिम्मेदारी व्यवस्थित रूप से घर घर सर्वेक्षण करके और अभिभावकों के साथ समय–समय पर चर्चा करके गाँव में सूक्ष्म स्तर की आयोजना तैयार करने तथा स्कूल मानचित्रण की होती है। भारतीय संविधान की धारा 45 में शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि स्वतन्त्र भारत का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो जाये या कम से कम साक्षर तो हो ही जाये। इसके लिए भारत व प्रदेश सरकार ने अनेक प्रयास भी किये हैं। गाँव की जनता के लिए शिक्षा की व्यवस्था के अन्तर्गत गाँवों में अधिक संख्या में विद्यालय खोले गये हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सन् 2000 तक सम्पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से शैक्षिक विक्रेन्द्रीकरण का प्रस्ताव किया गया है। जिसके अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा को प्रभावी बनाने में हमें पूर्ण सहायता मिल रही है। उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ही प्रदेश के 17 जनपदों में उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा परियोजना तथा इसी क्रम में 22 जनपदों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। अब 38 जिलों को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है। ये योजनाएँ बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में नामांकन, उपस्थिति और सम्प्राप्ति की मूल भावना पर आधारित है। ''14वर्ष की

आयु तक के सभी बालक/बालिकाओं को शिक्षा सुलभ कराना इस परियोजना का लक्ष्य है।'' गाँवों में अपेक्षाकृत अधिक लोग अशिक्षित है तथा देश की कुल आबादी की लगभग तीन चौथाई आबादी गाँवो में ही रहती हैं यदि गाँव शिक्षित हो जाते है तो देश भी शिक्षित हो जायेगा। गाँव की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से ही ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया है। निःसन्देह शिक्षा के सार्वभौमीकरण में भी समुदाय की सहभागिता की भूमिका अत्यावश्यक है। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परियोजना के अनुभवों ने यह दर्शित किया कि यदि समुदाय को शिक्षा के विद्यालय प्रबन्ध, विद्यालय विकास, नामांकन, ठहराव, बालिका नामांकन बढ़ाने आदि जैसे कार्यक्रमों से जोड़ दिया तो शिक्षा की वर्तमान स्थिति में अनुकूल परिवर्तन आयेगा। शिक्षा को समुदाय से जोड़ने के लिए ही ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रुप से ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया है।

ग्राम शिक्षा समिति के उद्देश्य

ग्राम शिक्षा समिति के उद्देश्य निम्न इस प्रकार है –

- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्राथमिक शिक्षा उसके सार्वजनीकरण विशेष रुप से बालिका शिक्षा के लिए वातावरण निर्माण में ग्राम शिक्षा समिति एवं समुदाय के सक्रिय योगदान के सन्दर्भ में सुग्रहित। अभिप्रेरित (सेन्सिटाइज़) करना।
- विक्रेन्द्रीकरण नियोजन के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन एवं विद्यालय मानचित्रण के अभ्यास के द्वारा ग्राम शिक्षा योजना तैयार करने की दक्षता को विकसित करना।
- अन्तक्षेत्रीय समन्वयन, सहयोग तथा शिक्षा के लिए वित्तीय तथा अन्य संसाधन जुटाने के लिए मानिसक रुप से तैयार करना।
- समुदाय को शिक्षा से जोड़ना।
- वैकल्पिक एवं प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना।
- गाँव की समस्याओं को देखते हुए गाँव की शिक्षा योजना तैयार करना।
- समुदाय की ओर से शिक्षा की गुणवत्ता के लिए संगठित रुप से आवाज उठाना।

ग्राम शिक्षा समिति के शैक्षिक दायित्व

स्थानीय उपलब्ध सामग्री का प्रयोग कर समुदाय के सहयोग से शिक्षण सामग्री तैयार कराना तथा शिक्षण सामग्री, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की सामग्री एवं गणित किट व विज्ञान किट का समुचित प्रयोग कराना ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का शत–प्रतिशत् नामांकन निर्धारित किया जाता है।

- प्राथमिक विद्यालयों में समस्त बच्चों के नामांकन हेतु माह जौलाई से माह सितम्बर तक ''स्कूल चलो अभियान'' रैलीयाँ निकाली जाती हैं।
- समिति के द्वारा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जाता है।
- समिति के द्वारा सभी बच्चे विद्यालय नियमित रूप से आये तथा पूरे समय विद्यालय में रहे, इसका प्रयास किया जाता है।

स्कूल से बाहर के बच्चों, विशेष रुप से बालिकाओं, बाल मजदूरों की शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना में सहयोग करना व समय–समय पर उनका अनुश्रवण किया जाता है।

ग्राम शिक्षा समिति का विश्लेषण एवं व्याख्या

ग्राम शिक्षा समिति को शिक्षा समुदाय से जोड़ने के लिए ही ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया। जनपद मेरठ में उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा किये गये प्रयासों से ग्राम शिक्षा समुदाय को शिक्षा के विद्यालय प्रबन्धन, विद्यालय विकास नामांकन, ठहराव, बालिका नामांकन बढ़ाने आदि जैसे कार्यक्रमों से जोड़ दिया गया है जिसके अच्छे परिणाम सामने आये हैं। शिक्षा की वर्तमान स्थिति में अनुकूल परिवर्तन किया जा रहा है वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश के 32 जनपदों में जिला प्राथमिक षिक्षा कार्यक्रम संचालित किया गया था। जिसमें समुदाय की भूमिका तथा ग्राम षिक्षा समितियों को अधिक सषक्त बनाया गया है। ''ग्राम षिक्षा समिति अब एक वैधानिक संस्था के रूप में विद्यालय प्रबन्धन की जिम्मेदारी उठा रही है।''

ग्राम शिक्षा समिति के सभी कार्यों जैसे विद्यालय में नामांकन, धारण, और सम्प्राप्ति स्तर को उन्नत करना, पिछड़े वर्ग के बच्चों, विकलांगो और बालिकाओं का नामांकन बढाना, विद्यालय हेतु भौतिक संसाधन जुटाना, भवन निर्माण उनका रख रखाव तथा मरम्मत

कराना, वित्तीय संसाधन जुटाना और उनका सदुपयोग करना, पुस्तकों तथा पोषाहार वितरण का अवलोकन, आचार्यजी/शिक्षा मित्रों की नियुक्ति करना, सह पाठक्रमीय कार्यक्रम सम्बन्धी आदि कार्य सराहनीय है जिनके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु विद्यालय प्रबन्ध में ग्राम शिक्षा समिति प्रभावी भूमिका निभा रही है। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को क्षमता संबर्द्धन हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण भी काफी प्रभावी है जिसका सही ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों (ए0एस0सी0) तथा औपचारिक विद्यालयों के प्रबन्धन में ग्राम शिक्षा समिति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

जिन स्थानों पर ग्राम शिक्षा समिति (वी0ई0सी0) सक्रिय है वहाँ छात्रों के नामांकन, उपस्थिति तथा ठहराव पर सकारात्मक (पॉजीटिव) प्रभाव पड़ा है। विद्यालय समय से खुल रहे हैं तथा शिक्षण अधिगम में भी विशेष सुधार हुआ है। शिक्षकों व छात्रों का समय से विद्यालय आना शुरू हो गया है। शिक्षक अभिभावक बैठकों तथा माता शिक्षक संघ की मीटिंग के फलस्वरूप समुदाय की सहभागिता नित्यप्रति बढ़ रही है जिससे अच्छे परिणाम ही सामने आ रहे हैं। जिन जनपदों में जहाँ ग्राम शिक्षा समितियों को निर्माण कार्य कराने थे जैसे – अतिरिक्त कक्षा–कक्ष शौचालय निर्माण भवनों की चार दीवारी, विद्यालय में नल आदि का निर्माण ग्राम शिक्षा समिति के सक्रिय होने से समय से पूर्ण कराये गये हैं ये निर्माण कार्य कम लागत पर श्रेष्ठ कार्य के समय की सीमाबद्धता से पूर्ण किये जा रहे है जिससे विद्यालयों की व्यवस्था सुधर रही है।

ग्राम शिक्षा समिति की देखरेख में विद्यालय को दिये जाने वाले आवर्तक सुधार अनुदान का सही प्रयोग किया जा रहा है जैसे– टाट पट्टी, उपस्कर, फर्नीचर, चाक, डस्टर आदि उपलब्ध है। भवनों की रंगाई पुताई कराकर प्राथमिक विद्यालयों को पब्लिक स्कूलों के जैसा बनाने का अथक प्रयास किया जा रहा है जिसके कुछ उचित परिणाम सामने आ भी रहे हैं। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा सफलतापूर्वक प्रभात फेरी, बालमेला तथा प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है जिससे छात्रों में सामाजिकता की भावना जाग्रत हो सकेगी। इस समिति द्वारा समुदाय व अभिभावकों से निरन्तर सम्पर्क रखकर उन्हें शिक्षा के महत्व और आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जा रहा है जिससे बालकों के नामांकन में निरन्तर बढ़ोतरी हो रही है समिति के द्वारा 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों की शालापूर्व शिक्षा हेतु आँगनबाडी कार्यकत्रियों के लिये मार्गों का निर्देशन भी समय–समय पर किया जा रहा है जिससे बालको का सर्वांगीण विकास हो रहा है। ''ग्राम शिक्षा समिति के सक्रिय होने से छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण, छात्रवृत्ति, तथा पोषाहार वितरण भी सही प्रकार दिया जा रहा है''। ग्राम शिक्षा समिति अपनी निर्धारित भूमिका के अनुसार कार्य कर रही है। जो प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए उपयोग सिद्ध हो रही है।

माता शिक्षक संघ

माता शिक्षक संघ इस प्रकार की संस्था है जो शालात्यागी अपंजीकृत बालिकाओं के शैक्षिक प्रबन्ध के उत्तरदायित्व का निर्वाह करती है। आधारभूत स्तर पर महिलाओं की शिक्षा की भागारी को सुनिश्चित करने के लिए माता शिक्षक संघो की स्थापना की गयी है। माता–शिक्षक संघ उन विद्यालयों में स्थापित किये गये हैं जिनमें बालिकाओं की शिक्षा के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। बालिकाओं के स्कूल भेजने के लिये प्ररित करना माता–पिता को बेटीयों की शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करना आदि कार्य इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सुचारू रूप से चलाये जा रहे हैं। ''अधिकतर संघ उन विद्यालयों में स्थापित है जो प्रतिदर्श समूह विकास अधिगम के अन्तर्गत आते है इन संघो को अपने स्वरूप की परिभाषा करने एवं प्रतिदर्श समूह विकास अनुगमन से सम्बन्धित अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में सहायता की जाती है।'' ये संघ ऐसे शिक्षा केन्द्र हैं जो शाला त्यागी अपंजीकृत बालिकाओं के लिये है। इनके लिये शिक्षण सामग्री का वितरण एवं केन्द्रों का पर्यवेक्षण भी समय–समय पर किया जाता है।''

माता शिक्षक संघ से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम

माता शिक्षा संघ के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सम्पादित किये जा रहे हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

माँ–बेटी मेला कार्यक्रम :

माँ–बेटी मेला में माताएँ अपनी बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए अधिक जोर दे रही है। इसके लिए संगठन बनाये गये है जिसमें न्याय पंचायत की प्रधान महिला, प्राथमिक शिक्षा में कार्यरत शिक्षिकायें व ग्राम की अन्य महिलायें सम्मिलित होती है। ''माता शिक्षक संघ'' के अन्तर्गत चलाये गये कार्यक्रमों में ''माँ–बेटी मेला'' कार्यक्रम अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है।

बालिका शिक्षा कार्यक्रम :

माता शिक्षक संघ के अन्तर्गत बालिका शिक्षा पर अधिक जोर दिया जा रहा है शिक्षित बालिका ही शिक्षित समाज का निर्माण करती है शिक्षित समाज के लिये बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है यद्यपि बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बालिका शिक्षा में पिछड़े जनपदों में और अधिक प्रयास किया जा रहा है हमारा सभी का दायित्व है कि अपने–अपने क्षेत्रों में लक्ष्य समूह की प्रत्येक बालिका का विद्यालय में न केवल नामांकन हो अपितु गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त कर सभी बालिकायें 5 वर्ष की शिक्षा आवश्यक रूप से पूर्ण कर सके।

प्राथमिक शिक्षा मे बालिकाओं परिदृश्य :

प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं की शिक्षा में आने वाले गतिरोधों को भली प्रकार समझा जा सकता है। बालिकाओं के नामांकन एवं शाला त्याग के कारण जटिल हैं। इनमें संरचनात्मक कारण जैसे–बस्तियों में स्कूलों का अभाव, महिला शिक्षकों का अभाव आर्थिक, बाध्यता और समाज में प्रचलित सांस्कृतिक धारणाएँ और अंधविश्वास जटिल कारण है। बालिकाओं के लिये शिक्षा की माँग न होना ही उनके न्यूनतम नामांकन का मुख्य कारण है जबकि यह दर्शाया जाता है कि बालिकाओं के लिए शैक्षिक सुविधाएँ अपर्याप्त है बालिकाओं के अभिभावक और जनसमूह में उनके शिक्षा हेतु सोच में एक बदलाव लाना और उनके लिये शिक्षा के महत्व को समझकर एक दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न करना महत्वपूर्ण कार्य है। गरीब परिवारों में महिलाओं की निम्न स्थिति जैसे कि घर की महिलाओं और बालिकाओं पर कार्य का बोझ आ जाता है। जिससे कि उनके बेटे अथवा भाई अपनी पढ़ाई कर सके उसके बाद उन्हें भोजन में एक क्षीण अंश ही प्राप्त होता है और स्वास्थ्य एवं शिक्षा के संसाधन के अधिगम का अभाव है। मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं का कार्य पानी भरना (लाना), चारा एवं खाना पकाने के लिए लकड़ी एकत्रित करना, बच्चों एंव पशुओं की देखभाल करना है। अतः अक्सर उनकी शिक्षा में भागीदारी नकार दी जाती है। बालिकाओं के धारण के दो प्रमुख कारण है अभिभावकों में यह प्रवृत्ति होती है कि वे बालिकाओं के यौवनागमन से पहले ही स्कूल से हटा देते हैं क्योंकि वे अब पूर्ण रूप से गृह कार्य कर सकती हैं दूसरा कारण यह है कि स्कूल का वातावरण जो बालिकाओं को शिक्षा की ओर प्रेरित नही कर पाते हैं और न ही उनकी विशेषताओं को उभारता है। कटाई शादी, और त्यौहार मेलों के अवसर पर भी इन्हें घर पर ही रोक लिया जाता है जिससे कि स्कूल की उपस्थिति में भारी कमी हो जाती है इनकी इस कमी को पूरा करने का कोई और उपाय न होने के कारण इससे उस चक्र की शुरूआत होती है जिसकी पहली कड़ी शिक्षक को हतोत्साहित कर देती है और आखिरकार यह बालिकायें पढ़ाई छोड़ देती है प्राकृतिक रूकावटें जैसे–स्कूल की दूरी, सुनसान रास्ते, जंगल, नहर/नदी तथा बाढ़ की अनियमितता स्थिति समस्याओं को और भी उत्प्रेरित कर देती है।

माता शिक्षक संघ की भूमिका की व्याख्या

माता शिक्षक संघ एक ऐसी संस्था है जो शालात्यागी अपंजीकृत बालिकाओं के शैक्षिक प्रबन्ध उत्तरदायित्व का निर्वाह करती है। महिलाओं की शिक्षा की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए माता शिक्षक संघों की स्थापना की गई, जिससे इस संस्था के महत्वपूर्ण व उच्च स्तर पर अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। माता शिक्षक संघ अधिकांश उन विद्यालयों में गठित किया गया है जिनमें बालिकाओं की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं तथा इससे बालिकाओं को प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षित करके आगामी भविष्य की नींव मजबूत हो सकेगी। इस संस्था के लिए शिक्षण सामग्री एवं उसका सही प्रयोग करने की उचित व्यवस्था की गई है जिससे अपंजीकृत शालात्यागी बालिकाऐं उसका पूर्ण लाभ ले रही हैं। समय–समय पर बच्चों को पुस्तकें, मिड–डे–मिल वितरित किया जा रहा है। माता शिक्षक संघ द्वारा छात्राओं के पंजीकरण एवं धारण के लिए सामुदायिक गतिशीलता निरन्तर बढ़ रही है तथा विद्यालय व समुदाय का अच्छा सामंजस्य बढ़ रहा है। छात्राओं की जो अनियमित उपस्थिति थी उसकी कठिनाईयों को भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संघ द्वारा बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा पर विशेष प्रभाव पड़ रहा है तथा नवीन पंजीकरण एवं ठहराव के लिए घर सर्वेक्षण के आकंडों का अनुवर्तीकरण किया जा रहा है।

माता शिक्षक संघ से सम्बन्धित इसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जैसे माँ–बेटी मेला द्वारा स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को उनकी माताओं के साथ लाना एवं उन्हें बालिकाओ की शिक्षा, स्कूल में की गयी गतिविधियों एवं बच्चे स्कूलों में क्या करते हैं आदि की विशेष जानकारी दी जा रही है। इससे महिलायें संगठित होकर भाग ले रही हैं। मेले से पूर्व विभिन्न गतिविधियों का आयोजन एवं उनके लिए स्कूली बच्चों को तैयार किया जाना लाभदायक सिद्ध हो रहा है। इसके अन्तर्गत शिक्षकों एवं स्कूल जाने वाले बच्चों की सहायता से प्रेरणात्मक रैलियों का आयोजन समय–समय पर किया जा रहा है, जिससे स्कूल न जाने वाले

बच्चे प्रोत्साहित होते हैं। इस संघ के अन्तर्गत मीना अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह यूनीसेफ द्वारा विकसित मीना नामक बालिका पर तैयार श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया गया है, जिससे बालिकाओं के लिए शिक्षा से सम्बन्धित विषयों पर सामाजिक जागरूकता पैदा की जा रही है जो सामाजिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में सहायक है। बालिकाओ की शिक्षा के लिए इस संचार तकनीक का प्रयोग माता शिक्षक संघों की सभाओं एवं अन्य जागरूकता अभियानों में किया गया है। माता शिक्षक संघ में बालिका की शिक्षा पर अत्याधिक बल दिया गया है क्योंकि शिक्षित बालिका ही शिक्षित समाज का निर्माण करती है। महिला समाख्या कार्यक्रम द्वारा महिला संघ जो ग्रामीण स्तर से योजनाबद्ध है व महिलाओं के साथ मिलते रहने एवं विचार करने का सुअवसर मिलता है, जिसको माता शिक्षक संघ का एक मुख्य आधार माना गया है।

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य से बालिका शिक्षा परियोजना प्रारम्भ की गई इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सामुदायिक भावना विकसित करना था किन्तु अधिकांश गाँवों में यह पाया गया कि अभिभावक बालिका शिक्षा के प्रति कम जागरूक थे तथा सामुदायिक स्वामित्व की भावना भी अत्यन्त भिन्न स्तर की थी। महिला समाख्या कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण हेतु आरम्भ किया गया इसमें महिलाओं को पारस्परिक अनुभवों से लाभान्वित होकर उत्पादक गतिविधियों को प्रारम्भ करने की योजना बनाई गई, किन्तु इसमें यह पाया गया कि ग्रामीण स्तर पर स्थानीय जनता द्वारा महिलाओं के प्रति आदर एवं सोच की भावना कम पाई गई। महिलाओं को कार्य करने के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई किन्तु उसका पूर्ण लाभ महिलाओं को नही मिल पाया। बाल्यावस्था में प्राथमिक शिक्षा के बाद शाला त्याग करने वाली किशोरियों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली किशोरियों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किशोरी केन्द्रों की स्थापना की गई थी किन्तु कहीं–कहीं पर महिला शिक्षकों के अभाव के कारण ये किशोरी केन्द्र सफल संचालित होने में असफल रहे। महिला शिक्षण केन्द्र आवासीय शिक्षण संस्थायें हैं जिनमें महिला शिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इनमें कुछ महिलाओं में तो आत्मविश्वास विकसित हुआ है किन्तु अर्न्तमुखी महिलाओं का आत्मविश्वास कम मात्रा में विकसित हो पाया है। बालिकाओं का आत्मविश्वास कम मात्रा में विकसित हो पाया है। बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा में नामांकित करने के लिए बाल केन्द्रों की स्थापना तो की गई है इनमें शिक्षा प्रदान करने वाली अनुदेशिकाओं की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा पाँच होनी चाहिये परन्तु कम योग्यता वाली महिलाओं द्वारा ही इन बाल केन्द्रों में अनुदेशन किया जा रहा है जिससे छात्रों के अधिगम स्तर में अधिक परिवर्तन नहीं हो पाया है। सर्वशिक्षा अभियान को प्रभावशाली बनाने के लिए वंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गाँधी योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना का संचालन जनपद स्तरीय समिति के द्वारा किया जाता है। यह योजना पूर्ण रूप से प्रभावशाली नही हो पाई है क्योंकि इस योजना की पात्र बालिकाओं के अतिरिक्त अन्य बालिकाओं को भी इसमें प्रवेश दे दिया जाता है। इस योजना में महिला शिक्षिका को विद्यालय परिसर में निवास करना अनिवार्य होता है किन्तु कभी–कभी कुछ महिलाऐं बीच में चली जाती हैं जिससे उनकी सुरक्षा के उत्तरदायित्व में कमी आती है। इस योजना का प्रचार–प्रसार करने के लिए मुद्रित तथा अमुद्रित जनसंचार माध्यमों का प्रयोग कम मात्रा में किया जा रहा है। अपवंचित वर्ग की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली निर्धन शालात्यागी और अनामांकित बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उनमें आत्मविश्वास जागृत करने में पुस्तकीय ज्ञान से हटकर कौशल विकास, कार्यक्रमों का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है परन्तु इसमें बालिकाओं की सम्पूर्ण भागीदारी नही मिल पा रही है कभी–कभी बालिकाऐं बीच में ही इस भागीदारी को छोड़कर चली जाती है जिससे उनके अन्दर छिपी हुई भावना को भी जागृत नही किया जा सकता है इसलिए इस कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार भी कम हो पा रहा है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :

1. पाण्डेय, के०पी० एजुकेशनल एण्ड वोकेशनल गाइडेन्स इन इन्डिया, विश्वविद्यालय, चौक, वाराणसी, 2000
2. भाई योगेन्द्र जीत शिक्षा में नवाचार और नवीन पृवृतियाँ डॉ० रांगेय राघव मार्ग, आगरा–2, 1999
3. एस०पी० सुखिया पी०वी०मेहरोत्रा, आर०एन० मेहरोत्रा, : शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व गुडबार एवं स्कैट्स की पुस्तक, 1970।
4. अग्रवाल, जे0सी0 भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, शिप्रा पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2007
5. गुरसरनदास त्यागी प्रारम्भिक शिक्षा, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा–2, 2005–2006
6. डॉ0 पी0के0 सक्सैना प्रारम्भिक शिक्षा के उभरते आयाम एवं शैक्षिक मूल्यांकन, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा–2, 2004–05
7. गुरसरनदास त्यागी भारत में शिक्षा का विकास, विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा–2, 2002